

प्रवेशार्थी निर्देशिका / राष्ट्रीय शिक्षा नीति

अध्यादेश (Ordinance)

स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2026-2027)



**CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA, LANDHORA,
MANGLAUR ROAD, HARIDWAR.(AUTONOMOUS)
AFFILIATED**

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, BADSHAHITHAUL, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND

परिभाषायें (Definitions)-

3.1 **क्रेडिट (Credit)**- एक क्रेडिट यह ईकाई है जिसके द्वारा पाठ्यकार्य का मापन किया जाता है। यह प्रति सप्ताह में आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या को निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 01 घंटे के शिक्षण [व्याख्यान (Lecture) या अनुव्याख्यान (Tutorial)] अथवा 02 घंटे के प्रायोगिक कार्य फील्डवर्क (Practical/Field Work) के तुल्य है।

3.2 **उपलब्ध पाठ्यक्रम (Available Courses)** -अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विषय विशेष में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करेगा, नामतः विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core), विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective) और सामान्य ऐच्छिक (GE- Generic Elective)।

3.3 **क-विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core)**- विषय विशिष्ट मूल (DSC) अध्ययन का मुख्य पाठ्यक्रम है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विषय विशिष्ट मूल (DSC) उस विशेष विषय के क्रेडिट (Credit) पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार Entry/Exit विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किये जा रहे अध्ययन सत्र में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।

ख - विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE Discipline Specific Elective)-विषय विशिष्ट ऐच्छिक यथावश्यक उस विशेष विषय (अध्ययन के एकल विषय कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम) क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक निकाय होगा, जिसे विद्यार्थी अपने विषय विशेष (Discipline Specific) से अध्ययन हेतु चुनता है। विषय विशिष्ट ऐच्छिक का एक निकाय होगा जिसमें से छात्र एक DSE का चयन कर सकता रूपरेखा के निर्दिष्ट विषय विशिष्ट ऐच्छिक को सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जायेगा।

ग- सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective)- सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा जो छात्रों को बहुविषयक या अन्तर्विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। विद्यार्थियों द्वारा सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) विषय का चुनाव इस प्रकार किया जा सकेगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core) से सम्बन्धित न हो।

घ - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC Ability Enhancement Course)- क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान तथा समग्र विकास है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।

ङ - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC Skill Enhancement Course) -कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संघटित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है Progressive तथा Non-Progressive।

परिभाषायें (Definitions)-

3.1 **क्रेडिट (Credit)**- एक क्रेडिट यह ईकाई है जिसके द्वारा पाठ्यकार्य का मापन किया जाता है। यह प्रति सप्ताह में आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या को निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 01 घंटे के शिक्षण [व्याख्यान (Lecture) या अनुव्याख्यान (Tutorial)] अथवा 02 घंटे के प्रायोगिक कार्य फील्डवर्क (Practical/Field Work) के तुल्य है।

3.2 **उपलब्ध पाठ्यक्रम (Available Courses)** -अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विषय विशेष में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करेगा, नामतः विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core), विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective) और सामान्य ऐच्छिक (GE- Generic Elective)।

3.3 **क-विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core)**- विषय विशिष्ट मूल (DSC) अध्ययन का मुख्य पाठ्यक्रम है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विषय विशिष्ट मूल (DSC) उस विशेष विषय के क्रेडिट (Credit) पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार Entry/Exit विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किये जा रहे अध्ययन सत्र में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।

ख - विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE Discipline Specific Elective)-विषय विशिष्ट ऐच्छिक यथावश्यक उस विशेष विषय (अध्ययन के एकल विषय कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम) क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक निकाय होगा, जिसे विद्यार्थी अपने विषय विशेष (Discipline Specific) से अध्य हेतु चुनता है। विषय विशिष्ट ऐच्छिक का एक निकाय होगा जिसमें से छात्र एक DSE का चयन कर सकता रूपरेखा के निर्दिष्ट विषय विशिष्ट ऐच्छिक को सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जायेगा।

ग- सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective)- सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा जो छात्रों को बहुविषयक या अन्तर्विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। विद्यार्थियों द्वारा सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) विषय का चुनाव इस प्रकार किया जा सकेगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core) से सम्बन्धित न हो।

घ -क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC Ability Enhancement Course)- क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान तथा समग्र विकास है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।

ङ - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC Skill Enhancement Course) -कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संघटित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है Progressive तथा Non-Progressive।

च -मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC Value Added Course)- मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे।

ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सत्रों के समूहों में प्रस्तुत किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा, जिसमें से विद्यार्थी अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (AEC, SEC, VAC) का चयन कर सकते हैं।

3.4 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme) एक वर्ष का यू० जी० सर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू० जी० डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी० ए० बी० एस-सी०, बी० कॉम० इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (आर्नस विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जायेगी।

3.5. संकाय (Faculty)-3.5.1-

A. संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

B. महाविद्यालय के अन्तर्गत जो संकाय व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.6 3.6.1 विषय (Subject)-

A. संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

B. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.7 3.7.1 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

A. एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

B. थ्योरी और प्राैक्टिकल के पेपर्स प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4 - न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)-

4.1 महाविद्यालय में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) के रूप में उपलब्ध कराये गए पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान रखेंगे ताकि अत्र्त महाविद्यालय कैडिट ट्रांसफर/Equivalence सुगमता से संचालित हो सकें।

4.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक विषय (DSC/DSE/GE इत्यादि) के क्रेडिट निर्धारित किये गए हैं। महाविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में आन्तरिक रूप से व्याख्यानों की संख्या इत्यादि अपने स्तर से तय कर सकते हैं।

5. उद्देश्य (Scope) -

5.1. यह व्यवस्था Basic / Applied Science, Arts, Social Sciences & Humanities, Languages & Commerce के सभी संकायों पर लागू होगी।

5.2 ऐसे समस्त पाठ्यक्रम जिनके प्रवेश, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण उनकी पृथक नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी-

6.1 यह नयी क्रेडिट व्यवस्था सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। जिन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु नवीन क्रेडिट व्यवस्था प्रोग्रेसिव मोड (Progressive Mode) में लागू की जायेगी, जिसके दृष्टिगत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एन०ई०पी० के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थियों पर उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2028-29 से लागू की जायेगी।

6.3 शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जून, 2025 में पूर्ण होने के पश्चात् इन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेश देते हुए ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर तथा उसके अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम लागू होंगे। ऐसे छात्र 03 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अथवा 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होंगे। इन छात्रों को स्टैण्डअलोन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में प्रवेश अनुमन्य किया जा सकेगा।

7- कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) -

7.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 कोर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा।

7.2 विद्यार्थियों द्वारा संकाय के अन्तर्गत कोर विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।

7.3 विद्यार्थी को महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

7.5 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

7.6 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा।

7.7 सामान्य ऐच्छिक (GE) का चुनाव महाविद्यालय में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएँ संकाय में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

7.8 विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विषय का चयन करते समय उन विषयों हेतु पूर्वनिर्धारित अर्हता (Pre-Requisite/eligibility) पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

8-ए० ई० सी० क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)-

क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (ए०ई०सी०) पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट्स का होगा।

9- एस० ई० सी० कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)-

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम है और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 03 वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms में से पूर्ण करना होगा।

10- वी० ए० सी० मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course)-

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

> विद्यार्थियों को मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) के अन्तर्गत प्रथम वर्ष किसी एक सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

> AEC, SEC एवं VAC पाठ्यक्रम हेतु Pool/Recognized Online Platforms निर्मित किये गये हैं, जो सांकेतिक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप इन Pool में वर्णित विषय/पाठ्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

11-नाई० ए० पी० सी० (इर्टनशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क -

इर्टनशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच (IAPC) पर आधारित पाठ्यक्रम हैं, जो छात्रों को इर्टनशिप, प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, कम्यूनिटी आउटरिच पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/FIELD WORK से सम्बन्धित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

12- विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन-

12.1 DSC-Discipline Specific Core: स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम संकाय चुनने के पश्चात् सम्बन्धित संकाय से 03 विषय विशिष्ट मूल (DSC) के रूप में चुने जाने होंगे जो महाविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रुप के आधार पर चयनित किये जायेंगे। महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है और यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गये विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

12.2 AEC - Ability Enhancement Course: इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) में भाषा आधारित 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। किसी भी भाषा का आधार मजबूत करने के लिये 06-08 क्रेडिट की पढ़ाई का पूर्ण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चतुर्व सेमेस्टर से Reasoning and Aptitude अथवा भाषा में से किसी एक विकल्प को चुने जाने का विकल्प विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में AEC के अन्तर्गत विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आगामी सेमेस्टर में इसे परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई विद्यार्थी AEC के अन्तर्गत चयनित भाषा का परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गया क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) में मात्र प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर में ही परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। परन्तु क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) प्रोग्रेसिव मोड पर आधारित पाठ्यक्रम है, अतः विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त परिवर्तित कर चुने गये नये AEC के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा साथ ही चुने गये नये AEC के प्रथम सेमेस्टर के क्रेडिट को पृथक से बैकलॉग के माध्यम से अर्जित किया जाना होगा। प्रथम सेमेस्टर में पूर्व में चयनित AEC के अर्जित क्रेडिट मान्य नहीं होंगे। महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे साथ ही सम्बन्धित AEC में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

12.3 VAC Value Added Course: इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) को विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से चयन कर सकता है, उसका प्रगतिशील (Progressive) चयन अनिवार्य नहीं होगा। महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

12.4 SEC - Skill Enhancement Course: इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से SEC का चयन कर सकता है। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव (Progressive) के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करना होगा जोकि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के चयन के समय विद्यार्थी को अपने मूल विषय से भिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों का चयन किये जाने के लिये प्रेरित किया जाना होगा, जिससे कि यह अपने मूल विषय के अतिरिक्त कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का अध्ययन कर सके।

12.5 AEC/VAC/SEC का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन: कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तय करेंगे। सम्बन्धित कोर्स (AEC/SEC/VAC) में सीट निर्धारण भी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

12.6 Nomenclature of Certificate/Diploma/Degree: प्रत्येक अकादमिक वर्ष के उपरान्त कार्यक्रम को पूर्ण करने पर (निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर) औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इसके लिये एक मानकीकृत (Standard) नामकरण प्रणाली को अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त नामकरण प्रणाली में कार्यक्रम, कोर्स, एवं AEC/SEC/VAC के शीर्षक एवं अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

उदाहरण एक वर्ष बी० एस-सी० फिजिकल साइन्स, कोर्स: भौतिकी, रसायन, AEC अंग्रेजी, SEC -साइंटिफिक राईटिंग, VAC-पयावरण विज्ञान कुल क्रेडिट 44

तीन वर्ष के पश्चात् स्नातक, चतुर्थ वर्ष (FYUP के अन्तर्गत) Honours/Honours with Major-Minor/Honours with Research इत्यादि महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे।

12.7 IAPC & Fieldwork: इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का एक-एक इर्तनशिप अथवा अप्रेंटिसशिप अथवा प्रोजेक्ट तथा कम्प्यूनिटी आउटरीच अथवा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) का चयन करना होगा। इर्तनशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट तथा कम्प्यूनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) Application based होना चाहिए। IAPC & Fieldwork के मूल्यांकन को निष्पक्ष एवं सन्तुलित बनाये जाने के सन्दर्भ प्रस्ताव है कि इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु त्रिस्तरीय मूल्यांकन संरचना लागू की जायेगी-

1. सुपरवाइजर/मेन्टॉर-IAPC & Fieldwork की प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।
2. विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त मूल्यांकन व्यवस्था तय करेंगे।

12.8 Minor Project : स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को IAPC & Fieldwork के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी तृतीय वर्ष में लागू IAPC & Fieldwork को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को लघु परियोजनाओं का ज्ञान अर्जित किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष में किसी एक सेमेस्टर में विद्यार्थी को SEC के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध (Minor Project) पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12.9 Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project: इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 06 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का अध्ययन करने का प्रावधान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को Dissertation/Entrepreneurship/Academic Project का Topic आवंटित किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में Dissertation/ Entrepreneurship/ Academic Project के मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय द्वारा Outcome निर्धारित किये जायेंगे तथा विद्यार्थी द्वारा इन Outcomes को प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर सम्बन्धित सेमेस्टर हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। Dissertation/Entrepreneurship/Academic Project की रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन विधि तय करेंगे।

12.10 Data Science: कला वर्ग कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत डॉटा साइन्स (Data Science) से सम्बन्धित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डेटा साइन्स का पाठ्यक्रम अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के आधार पर भी प्रेरित किया जा सकता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त Certification भी प्रदान किया जा सकता है। जिसका वर्णन विद्यार्थी की डिग्री में भी अंकित किया जा सकता है।

12.11 Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि-

क. 04 क्रेडिट के GE के रूप में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

ख. GE के अन्तर्गत 28 क्रेडिट पूर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत

CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माईनर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा।

12.12 Online/MOOC's पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि-

क. क्रेडिट संरचना में FYUP के अन्तर्गत डिग्री हेतु 176 क्रेडिट अर्जित किये जाने अनिवार्य हैं।

ख. Online/MOOCs के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट को शामिल किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नीति निर्धारण करेंगे।

ग. आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत नीति तैयार की जानी होगी।

घ. इन क्रेडिट्स को सीधे Academic Bank of Credits (ABC) में जोड़ा जा सकता है।

ङ. अतिरिक्त अर्जित क्रेडिट्स का उपयोग मैरिट निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

12.13 सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दोनों सेमेस्टर्स में मिलाकर न्यूनतम 26 क्रेडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी दोनों सेमेस्टर्स में शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहे एवं उनका पठन-पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे। यह नियम समस्त पाठ्यक्रमों एवं समस्त वर्गों पर समान रूप से लागू होगा।

13- क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]

Illustration-1:

Multidisciplinary Courses of Study

(Three core Disciplines)

For B.Com DSC A/B/C shall be replaced with DSC 1/2/3 Allied Disciplines

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancem ent Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice Ship/Project /Field Work(2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	Discipline A1-(4)		Choose one from a pool of courses GE-1(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B1-(4)							
	Discipline C1-(4)							
II	Discipline A2-(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	DisciplineB B2-(4)							
	Discipline C2-(4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Multidisciplinary Study) after Securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total=44

III	Discipline A3-(4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses, GE-3 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC (2)	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits		
	Discipline B3-(4)							
	Discipline C3-(4)							
IV	Discipline A4-(4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses, GE-4 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2) Or Reasoning & Aptitude	Choose one SEC (2)	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits		
	Discipline B4-(4)							
	Discipline C4-(4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Multidisciplinary Study) after Securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV						Total= 88		
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/Project (4)	Value added course (VAC)	Total Credits
V	Discipline A5-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C-(4) Or Choose one from a pool of courses GE-5(4)			Choose on SEC(2)	Internship/ Apprenticeship /Project/Community outreach/Field work (4)		22 Credits
	Discipline B5-(4)							
	Discipline C5-(4)							
VI	Discipline A6-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C-(4) Or Choose one from a pool of courses GE-6(4)			Choose on SEC(2)	Internship/ Apprenticeship /Project/Community outreach/Field work (4)		22 Credits
	Discipline B6-(4)							
	Discipline C6-(4)							
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the Requisite 132 credits on completion of Semester VI								Total= 132

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE) or Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/ Project(2)	Disseration	Total Credits
VII	DSC- (4)	Choose three DSE- (3X4) courses Or Choose two DSE- (2X4) and one GE (4) course Or Choose one DSE(4) and two GE (2X4) courses (total=12)				Disertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 Credits
VIII	DSC- (4)	Choose three DSE- (3X4) courses Or Choose two DSE- (2X4) and one GE (4) course Or Choose one DSE(4) and two GE (2X4) courses (total=12)				Disertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/Entrepreneurship(6)	22 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study with Major/Minor) (Honours or Honours with Academic Project/Entrepreneurship/Research) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII Or If Students opts for a two-year PG program, they have the option to obtain a PG diploma in the core subject upon earning 44 credits at the conclusion of the second semester of the PG program.							Total= 176

Year	Core (DSC)	Elective(DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course(SEC)	Internship/ Apprenticd ship/Project (2)	Dissertation	Total Credits
X	DSC-(4)	Choose three DSE (3X4)courses OR Choose two DSE- (2X4) and one GE(4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2X4) courses (total=12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6)OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 Credits
X	DSC-(4)	Choose three DSE (3X4)courses OR Choose two DSE- (2X4) and one GE(4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2X4) courses (total=12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6)OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 Credits
Students on exit shall be Master's in Core Subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X								Total= 220

Important Note:

1-Students studying DSEs offered by any Discipline other than his/her Core Discipline will be treated as GE for him/her.

जो विद्यार्थी अपने कोर विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय विशिष्ट ऐच्छिक लेता है तो ऐसा विषय विशिष्ट ऐच्छिक, सामान्य ऐच्छिक माना जायेगा।

2-Honours Degree: To pursue an Honours degree in a field of multidisciplinary study, candidates will have to choose, in the fourth year, only one of the disciplines (either A or B or C).

आनर्स उपाधि यदि कोई विद्यार्थी बहुविषयक अध्ययन में ऑनर्स उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को चौथे वर्ष में A अथवा B अथवा C में से एक विषय लेना होगा।

3-Major and Minor shall be awarded on fulfilment of the following conditions. Major -> 80 credits, Minor -> 28 credits

Example -

B.Sc. Physical Sciences programme with Physics, Mathematics, and Chemistry as core disciplines.

Case I: He/She shall get Major in Physics, on successful completion of VIII semester, if he/she earns a minimum of 80 credits in Physics from Eight DSCs and at least Nine DSEs of Physics and writes a dissertation in Physics.

Advice: Students are advised to choose the discipline in which they wish to Major and must study at least Three DSEs of that discipline in the first three years. Like in this example, the student must decide earlier and study three DSEs of Physics in the first three years as only a maximum of six DSEs are available in the fourth year. Similarly, if the student wants to minor in any of the remaining two disciplines, he/she should study one DSE of that discipline in the first three years. He/She shall get a Minor in Mathematics, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and one DSE of Mathematics. Or He/She shall get a Minor in Chemistry, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and One DSE of Chemistry.

Case II: If a student doesn't do a dissertation in Physics but in other disciplines, say Mathematics or Chemistry, or does Academic Project or Entrepreneurship, then he/she will not be awarded Major in Physics, as he/she will be unable to obtain 80 credits. In such cases, he/she will be awarded B.Sc. (Honours) Physical Sciences.

विद्यार्थियों को निम्नांकित शर्तों को पूर्ण करने पर ही मेजर तथा माईनर प्रदान किया जायेगा मेजर 80 क्रेडिट्स, माईनर 28 क्रेडिट्स।

उदाहरण-

बी० एस-सी० फिजिकल साइन्स पाठ्यक्रम-जिसमें भौतिकी, गणित तथा रसायन विज्ञान का बी० एस-सी० फिजिकल साइन्स पाठ्यक्रम विद्यार्थी द्वारा कोर विषय के रूप में चयन किया गया है।

केस - 1 : विद्यार्थी को आठवें सेमेस्टर के सफल समापन पर भौतिकी का मेजर केवल इसी शर्त पर प्रदान किया जायेगा जब उसने 08 डी० एस० सी० तथा कम से कम 09 डी० एस० ई० एवं 01 शोध प्रबन्ध भौतिकी विषय के रूप में चयन कर न्यूनतम 80 क्रेडिट प्राप्त कर लिये हों।

सलाह- विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उस विषय को चुनें जिसमें वे मेजर करना चाहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों में उस विषय में कम से कम 03 डी० एस० ई० का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिये विद्यार्थी को पहले निर्णय लेना होगा और पहले तीन वर्षों में भौतिकी के तीन डी० एस० ई० का अध्ययन करना होगा क्योंकि चतुर्थ वर्ष में अधिकतम 06 डी० एस० ई० उपलब्ध है। इसी प्रकार, यदि छात्र शेष 02 विषयों में से किसी में माईनर करना चाहता है तो उसे पहले तीन वर्षों में उस विषय के 01 डी० एस० ई० का अध्ययन करना होगा। यदि वह 06 डी० एस० सी और गणित में न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे गणित में माइनर मिलेगा। या यदि वह रसायन विज्ञान के 06 डी० एस० ई० और 01 डी० एस० ई० से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे रसायन विज्ञान में माईनर मिलेगा।

केस 2: यदि कोई छात्र भौतिकी में शोध प्रबंध नहीं करता है, लेकिन अन्य विषयों, जैसे गणित या रसायन विज्ञान या अकादमिक परियोजना या उद्यमिता करता है तो उसे भौतिकी में मेजर प्रदान नहीं किया जायेगा क्योंकि वह 80 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ होगा। ऐसे मामलों में उसे बी० एस-सी० ऑनर्स की उपाधि फिजिकल साइन्सेज में प्रदान की जायेगी।

3- त्रीवर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु स्नातक स्तर का चतुर्थ वर्ष स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के समतुल्य होगा।

6- चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) पूर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे।

Bachelor of (Field of Study/Discipline) (Hons.) (Single core Disciplines)								
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice Ship/Project/ Field Work(2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	DSC-1 (4)		Choose one from a pool of courses GE-1(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	DSC-2 (4)							
	DSC-3 (4)							
II	DSC-4(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	DSC-5 (4)							
	DSC-6 (4)							
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Multidisciplinary Study) after Securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total=44
			Choose one from pool	Choose one	Choose one SEC (2)		Choose one from a pool	

Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Multidisciplinary Study) after Securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV							Total= 88
III	DSC-4(4)	Choose one from pool of courses, DSE -1(4) OR Choose one from pool of courses, GE-3 (4)**	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC (2) Or Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach (IAPC) (2)*	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits	
	DSC-5 (4)						
	DSC-6 (4)						
IV	DSC-10(4)	Choose one from pool of courses, DSE-2 (4) OR in the alternative Choose one from pool of courses, GE- 4 (4)**	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC (2) Or Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach (IAPC) (2)*	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits	
	DSC-11(4)						
	DSC12(4)						

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhance ment Course (SEC)	Internship / Apprentic e Ship/Proj ect (4)	Value added course (VAC)	Total Credits
V	DSC-13(4)	Choose one from a pool of courses DSE -3(4)	Choose one from a pool of courses GE-5(4)			Choose on SEC OR Internship / Apprentic eship /Project/ Communi ty outreach/ (IAPC) (2)**		22 Credits
	DSC-14(4)							
	DSC-15 (4)							
VI	Discipline A6- (4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C- (4) Or Choose one from a pool of courses GE-6(4)				Choose on SEC OR Internship / Apprentic eship /Project/ Communi ty Outreach (2)***		22 Credits
	Discipline B6- (4)							
	Discipline C6- (4)							

Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the
Requisite 132 credits on completion of Semester VI

Total= 132

Semester	Core (DSC)	Elective (DSC) or Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancemen t Course (SEC)	Internship/ Apprentice Ship/ Project(2)	Dissertation	Total Credits
----------	------------	--	--	--	--	--------------	------------------

VII	DSC-19 (4)	Choose three DSE- (3X4) courses Or Choose two DSE- (2X4) and one GE (4) course Or Choose one DSE(4) and two GE (2X4) courses (total=12)				Disertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship(6)	22 Credits
VIII	DSC-20(4)	Choose three DSE- (3X4) courses Or Choose two DSE- (2X4) and one GE (4) course Or Choose one DSE(4) and two GE (2X4) courses (total=12)				Disertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship(6)	22 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Study Discipline)-either (Honours with Research/Academic Project/Entrepreneurship ,or Honours with Research in Discipline-1 (Major) with Discipline -2 (Minor)- after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII							Total= 176

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticd ship/Project (2)	Dissertation	Total Credits
IX	DSC-21 (4)	Choose three DSE (3X4) courses OR Choose two DSE- (2X4) and one GE(4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2X4) courses (total=12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 Credits
X	DSC-22 (4)	Choose three DSE (3X4) courses OR Choose two DSE- (2X4) and one GE(4)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/	22

	course OR Choose one DSE (4) and two GE (2X4) courses (total=12)				Entrepreneurship (6)	Credits
Students on exit shall be Master's in Core Subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X						Total= 220

There shall be choice in III, IV, V and VI Semesters to choose either one 'SEC' or in the alternative 'Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach' in each Semester for two credits each.

14- मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)

14.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) Regulations, 2021 have. been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time

14.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाइन प्लेटफार्म, (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी 40% समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी०/ उत्तराखण्ड शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाइन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित सक्षम समिति (Competent Authority) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

15- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण-

15.1 ब्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा /प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

15.2 प्रैक्टिकल/इन्टरनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टरनशिप /फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

15.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय 'एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट के माध्यम से किये जायेंगे।

15.4 विद्यार्थी न्यूनतम 44 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 176 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) डिग्री, न्यूनतम 220 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 44 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 44 क्रेडिट को खाते में रि-

e-credit) करेगा, जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 88 (44 + 44) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

15.5 स्नातक स्तर पर तीन वर्ष में विद्यार्थी DSC/DSE/GE विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

15.6 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

15.7 समस्त DSC, DSE एवं GE हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित हैं। ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटक सम्मिलित हैं उनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटकों का क्रेडिट निर्धारण उन विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम में वर्णित क्रेडिट व्यवस्था के आधार पर होगा।

15.8 समस्त AEC, VAC, एवं SEC हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 02 क्रेडिट निर्धारित हैं।

15.9 IAPC/FIELD WORK हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित है।

15.10 ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी एक विभाग विशेष द्वारा संचालित नहीं होते हैं उनको संचालित करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक Multidisciplinary, Board of Studies का गठन कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली-

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-44	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	F	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

17- उत्तीर्ण प्रतिशत-

17.1 उपरोक्त तालिका में DSC, DSE and GE विषयों का प्रत्येक कोर्स / पेपर सभी (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पृथक-पृथक) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।

- सत्रिक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी विषयों में DSC/DSE/GE के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में
 अंकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continious Internal Evaluation) व 75
 की महाविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 17.3 AEC/SEC/VAC/Dissertation/IAPC/Field Work इत्यादि के प्रत्येक कोर्स में उत्तीर्ण होने हेतु 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक
 होगा तथा इनकी परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जायेगी।
- 17.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक से कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को
 आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनत उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा।
- 17.5 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक कोर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 होगा।
- 17.6 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।
- 17.7 मूल्यांकन एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में नीति निर्धारण महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

18 - कक्षात्रोति (Promotion)

- 18.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा,
 बाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- 18.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति
 निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी
- विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 26 क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं
 प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

19- बैक पेपर परीक्षा -

- 19.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में
 महाविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ
 नहीं दे सकेगा।
- 19.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी। अर्थात सम
 सेमेस्टर की बैक परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ और विषम सेमेस्टर की बैक परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ।
- 19.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो तत्समय संचालित
 सम्बन्धित सेमेस्टर में लागू है।
- 19.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की महाविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक दे सकता है।
- 19.5 किसी भी पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की स्पेशल बैक परीक्षा अनुमन्य नहीं होगी।

काल अवधि-

सी भी पाठ्यक्रम (UG Certificate/UG Diploma/UG Degree/UG Degree Honours/PG Degree) को पूर्ण करने के लिये अधिकतम काल अवधि N 02 वर्ष होगी। महाविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश संख्या D.O.No.F.12-1/2015 (CPP-II) दिनांक 15th October, 2015 के क्रम में अधिकतम 01 वर्ष काल अवधि विनिर्दिष्ट उपनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

काल अवधि के सम्बन्ध में NEP के अन्तर्गत महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Expiry of Credits से सम्बन्धित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगे।

21-SGPA एवं CGPA की गणना -

21.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी:

Jth semester के लिए— $SGPA (S_j) = \frac{\sum (C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर— C_i = number of credits of the ith course in jth semester G_i = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
$CGPA = \frac{\sum (C_j \times S_j)}{\sum C_j}$	यहाँ पर— S_j = SGPA of the jth semester C_j = total number of credits in the jth semester

21.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 9.5$$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा:-

CCD	Course Title	CT	SEM	CRDT	GR	GR(P)	CRPT
001241801	Economic: Basic of Microeconomics	DSC	I	4	B+	7	28
0012421501	History: History of India	DSC	I	4	B	6	24
0012421301	Political Science: Indian Political System	DSC	I	4	A	8	32
0032442107	Basic Physics	GE	I	4	B	6	24
0052441703	Yoga and Human Values	VAC	I	2	B	6	12
0042461207	हिन्दी भाषा: स्वरूप एवं प्रकार	AEC	I	2	B+	7	14
0062471218	Data Analytics	SEC	I	2	B	6	12
SEM	TOTAL CREDIT	TOTAL CR.PT.	SGPA	RESULT			
I	22	146	6.63	PASS			

Credit points Grade point x Credit

SGPA Total credit points/total credits (146/22=6.63)

Rounded to two decimal digits

CALCULATION OF CGPA			
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit:22	Credit:22	Credit:22	Credit:22
SGPA: 6.63	SGPA: 7.22	SGPA: 8.96	SGPA: 7.22
The Cumulative Grade Point Average (CGPA)= Total Grade Value/ Total Credits (In all the semester till now.)			
Thus, CGPA $(22 \times 6.63 + 22 \times 7.22 + 22 \times 8.96 + 22 \times 7.22)/88 = 7.50$			
Hence, equivalent percentage = $7.50 \times 9.5 = 71.25$			
And the Division will be First			

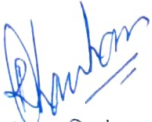
21.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

23- मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit)-

23.1 महाविद्यालय मैरिट में स्थान का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल ग्रेड प्वाइन्ट (CGPA) के आधार पर किया जायेगा। समान CGPA होने की स्थिति में कुल ग्रेड प्वाइन्ट (CGPA) को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिये Conversion Factor 9.5 का प्रयोग करते हुए मैरिट का निर्धारण किया जायेगा।

23.2 जिन पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश अनुमन्य किया जाता है ऐसे विद्यार्थियों हेतु मैरिट निर्धारण सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा Lateral Entry के विद्यार्थियों को मैरिट सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने हेतु पृथक से विश्वविद्यालय स्तर पर नीति निर्धारित की जा सकती है।


परीक्षा नियंत्रक


प्राचार्य